<u>प्रेस-विज्ञप्ति</u>

समाहर्ता दीव की अध्यक्षता में हुई 'जल-शक्ति अभियान' पर विशेष बैठक

महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी कर जल-संचयन को बढ़ावा देने पर दिया गया बल

दीव 01 जुलाई, 2019: आज दीव समाहर्तालय सभागार में माननीय दीव समाहर्ता श्री हेमन्त कुमार की अध्यक्षता में तत्काल बैठक का आयोजन हुआ जिसमें जल की कमी को दूर करने और भविष्य में जल की आपूर्ति को सुलभ बनाने के लिए जल-संचयन एवं वर्षा जल-संचयन पर चर्चा हुई। इस बैठक में जिला प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण एवं कार्यालयाध्यक्ष उपस्थित हुए।

बैठक के दौरान समाहर्ता महोदय ने बताया कि भारत सरकार ने जल-शक्ति अभियान को आरंभ करने का निर्णय लिया है। इस अभियान की शुरूआत आज यानि 01 जुलाई से होगी और यह 15 सितम्बर तक अनवरत चलेगी। इस अभियान में देश भर के कुल 255 जिलों और 1597 प्रखंडों को शामिल किया गया है, जिसमें दीव का नाम भी शामिल है। मुख्य रूप से इन जिलों को शामिल करने के पश्चात देश के अन्य जिलों को भी इस अभियान के तहत जोड़ते हुए इसकी निगरानी के लिए गहन अभियान चलाने का निर्देश मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसके लिए संयुक्त सचिव और उप-सचिव स्तर के अधिकारी को इसकी प्रगति और समीक्षा की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया है।

बैठक में आगे चर्चा करते हुए समाहर्ता महोदय ने बताया कि जल-संचयन के लिए बारिश के पानी को संचित करना और साथ ही उपचारित जल का पुन: प्रयोग भी शामिल है। साथ ही प्राकृतिक जल-स्रोत जैसे तालाब, कुंआ, झील, नहर, बोरवेल आदि के जल को पुनर्संरक्षण प्रदान कर उसे उपयोग में लाने की व्यवस्था करना है। समाहर्ता महोदय ने जल के संरक्षण और इसके उचित उपयोग के लिए एकीकृत जल-स्रोत प्रबंधन पर भी विशेष बल दिया। इसके लिए उन्होंने जिला जल संरक्षण योजना एवं वृक्षारोपण तथा जल प्रबंधन योजना तैयार करने का निर्देश दिया।

समाहर्ता महोदय ने बताया कि जल को संरक्षित करने के लिए दीव जिला प्रशासन ने पहले से ही पहल की है। इसके लिए कई जगह पर मैनग्रोव लगाये गये हैं। पुन: खाली पड़े स्थलों पर नारियल पेड़ लगाने की योजना भी तैयार की जा रही है। जल-संचयन के लिए लोगों को जागरूक करना नितांत आवश्यक है। इसपर बल देते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जिला प्रशासन स्वच्छता को तवज्जो दे रहा है उसी तरह जल-संचयन के लिए भी जागरूकता अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने सहायक शिक्षा निदेशक को निर्देश देते हुए कहा कि शिक्षण संस्थानों में बच्चों को जल-संचयन के लिए जागरूक बनाने हेतु जल संबंधी चित्रकला, वाक् प्रतियोगिता आदि का आयोजन बड़े पैमाने पर करें। पोस्टर और होर्डिंग के माध्यम से भी लोगों में जनचेतना फैलाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह अभियान मुख्य रूप से नगरपालिका परिषद, कृषि विभाग एवं वन विभाग के द्वारा चलाया जाएगा लेकिन प्रशासन के सभी विभाग इस मुहिम में सकारात्मक सहयोग करेंगे।

श्री हेमन्त कुमार ने कहा कि केन्द्रीय बिल्डिंग उप-नियम, 2018 के मुताबिक आगे निर्माणाधीन सभी इमारतों और खासकर सरकारी भवनों में जल-संचयन की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने इसके लिए दीव की मुख्य अधिकारी श्रीमती वंदना राव को विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिया कि 15 सितम्बर से पहले सभी सरकारी भवन, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों के भवन, वाणिज्यक संस्थानों के परिसर में पूर्ण रूप से वर्षा जल-संचयन के संयंत्र लगाये जाएं और इस अभियान को अमली जामा पहनाया जाए। जिन फुटपाथों और सड़क के किनारे बने कच्चे रास्ते से जल भूमिगत नहीं होता वहां के पेवर-ब्लॉक को दुरूस्त करने की आवश्यकता है। लोक निर्माण विभाग तत्काल इसपर कार्यवाई करते हुए, इसे ठीक करे।

इस विषय पर चर्चा करते हुए उन्होने होटल मालिकों से अपील की कि वे उपचारित जल का उपयोग प्रसाधनिक कार्य एवं बागवानी के लिए करें ताकि पेयजल की भावी समस्याओं को हल करने में आसानी हो। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी होटल उपचारित जल को व्यर्थ में बरबाद न करे। साथ ही सड़क मार्ग के बीचो-बीच डिवाईडरों में लगे पौधों को सिंचने के लिए भी उपचारित जल का ही उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने इस प्रकार उपचारित जल के पुन: उपयोग के लिए कई अन्य उदाहरण पेश किये।

जिला समाहर्ता ने बताया कि प्राकृतिक जल-स्रोतों के सभी स्थलों पर अतिक्रमण को रोकने के लिए उन्हें आबद्ध किया जाएगा। कृष्णा पार्क के अंदर गांधीपारा झील का विकास भी जिला प्रशासन के अग्रणी योजनाओं में शामिल है। प्राकृतिक जल-स्रोतों में नाली के गंदे जल का निकास भी रोकना प्रशासन का प्रधान लक्ष्य है। उन्होंने सभी पंचायतों को भी निर्देश देते हुए बताया कि वे अपने सीमावर्ती झीलों और जल-स्रोतों का संरक्षण एवं उसका विकास करेंगे। जल-शक्ति अभियान से जुड़ी प्रत्येक कृत्य को लिखित रूप में प्रस्तुत कर रिकार्ड करना होगा। इसकी जिम्मेदारी सभी कार्यालयाध्यक्षों और पंचायत एवं नगरपालिका के सदस्यों की होगी।

ध्यातव्य है कि भारत सरकार के नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भारत में जल-संकट की विकराल समस्या के संकेत दिये हैं। भारत सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए इसपर तुरंत कार्रवाई करने का निदेश जारी किया है।